राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1006/2013/जालौर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, जालौर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राजश्री बिल्डर्स, भीनमाल, जालौर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री पी. एम. चौपड़ा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 13/04/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 16/आरवेट/जालौर/12–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.11.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी जो कि ठेकेदारी का कार्य करता है, उनके द्वारा वर्ष 2009–10 में किये गये कार्यों में से कुछ कार्यों में मुक्ति प्रमाण–पत्र के तहत कार्य किया गया था एवं अन्य कार्य पूर्ण करदेयता के साथ में पूर्ण किये गये थे। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–जालौर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा बिना मुक्ति प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित ठेका कार्यों में उपयोग किये गये माल का उपयोग अनुमान के आधार पर बढ़ाते हुए एकतरफा आदेश पारित किया गया था एवं आलौच्य अवधि के तिमाही विवरण–प्रपत्र पेश नहीं करने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति भी आरोपित की गयी थी, जिसके विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को बिना सुनवाई के आरोपित करने के आधार पर अपास्त किया गया एवं एकतरफा अनुमान के आधार पर खरीद मूल्य में वृद्धि करने को अपास्त करते हुए पुनः जांच हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्य की प्रकृति को देखते हुए एकतरफा खरीद में वृद्धि की है वह उचित है एवं धारा 58 की शास्ति को भी सुनवाई के पश्चात् आरोपित किया जाना बताते हुए अपीलीय आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया।

लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई नोटिस जारी किये स्वैच्छा से उनकी खरीद राशि को बढ़ा दिया गया जो पूर्णतया अविधिक है एवं यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी एक ठेकेदार के रूप में पंजीकृत है जिस पर मासिक करदेयता नहीं होने से एवं बिना कोई नोटिस जारी किये वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है एवं प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया आदेश विधिसम्मत है।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अंकित किया गया है कि **"अनुमानित करते हुए खरीद की राशि को बढ़ाया जाता है"** वह उचित नहीं है क्योंकि अनुमान के लिये भी कोई आधार होना चाहिये जिससे यह विचार किया जा सके कि व्यवसायी द्वारा कार्य हेतु अधिक माल की खरीद करना प्रतीत हो। अतः बिना किसी अन्यथा साक्ष्यों के खरीद राशि बढ़ाये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकती अतः अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ठेकेदार व्यवसायी को माहवारी करदाता मानते हुए धारा 58 के तहत कर की 30 प्रतिशत राशि आरोपित की है, वह भी विधिसम्मत नहीं है एवं अपीलीय अधिकारी ने पूर्ण विवेचन के पश्चात् यह निर्णय किया है कि बिना कोई नोटिस जारी किये शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है, उसमें भी किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

13/4/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य